न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : मानाराम पटेल आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 151 / 2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– सवाराम पुत्र वनाजी 2– रूपाराम पुत्र वनाजी 3– हुकमाराम पुत्र वनाजी सभी जातियान राईका, निवासीगण सोनाई लाखा, तहसील रोहट जिला पाली		1–आदिया पुत्र विशनाजी के का0मुकाम 1.1–अणची पत्नी स्व.आदिया जाति राईका निवासी सोनाई लाखा, तहसील रोहट जिला पाली 1.2–भंवराराम पुत्र स्व.आदिया जाति राईका निवासी सोनाई लाखा, तहसील रोहट जिला पाली 1.3–दाकु पत्नी स्व.आदिया पत्नी गेयडराम जाति राईका निवासी सजाडा तहसील व जिला जोधपुर 1.4–सुजा पुत्री स्व.आदिया पत्नी कानाराम जति राईका निवासी भाखरी तहसील रोहट जिला पाली 2– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रोहट जिला पाली

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 14–8–2012 जिसे उपखण्ड अधिकारी रोहट ने पत्र कमांक / 2367–68 के जरिये पारित किया गया ।

उपस्थिति:–

1– श्री सत्यनारायण राजपुरोहित अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री सिद्धार्थ परिहार अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1.1 से 1.4 की ओर से ।
3– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 28–9–2018

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 के पति एवं पिता आदिया पुत्र विशना जाति राईका निवासी सोनाई लाखा ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रोहट के समक्ष उसके खातेदारी के खसरा नंबर 641 / 463 रकबा 13 बीघा भूमि की तरमीम करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का एंव आर.आई से रेकर्ड एवं मौके की तथ्यात्मक रिपोर्ट मय तरमीम प्रस्ताव प्राप्त कर पटवारी हल्का डुंगरपुर की रिपोर्ट दिनांक 13–8–12 अनुसार खातेदार के मौके पर काबिज अनुसार माफिक रिपोर्ट पटवारी हल्का मय मौका फर्द व नजरी नक्शा अनुसार खातेदारान के बीच किसी प्रकार का वाद विवाद नही होने की दशा मे राजस्व रेकर्ड नक्शा मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि की तरमीम माफिक रिपोर्ट पटवारी हल्का दिनांक 13–8–12 अनुसार मौके पर काबिज अनुसार तरमीम कर राजस्व नक्शा मे अंकन करने के

आदेश भू अभिलेख निरीक्षक वृत रोहट एवं पटवारी हल्का डुंगरपुर को जरिये पत्रांक राजस्व/12/2367–68 दिनांक 14–8–2012 को पारित कर दिये जाने पर उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांटगण ने वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम सोनाई लाखा पटवार मण्डल डुंगरपुर के खसरा नंबर 463 रकबा 131.19 बीघा था जिसमे अपीलांट सवाराम वगैरा की खातेदारी खसरा नंबर 652/463 मे 27 बीघा की थी जिसकी तरमीम राजस्व नक्शे मे की हुई थी जिसकी पुष्टि पटवारी हल्का डुंगरपुर द्वारा दिनांक 10–1–2011 को जारी प्रमाणित प्रतिलिपी की छायाप्रति जो अपील के साथ पेश की गई है, से होती है परंतु पटवारी हल्का ने गैरकानूनी तरीके से पुरानी तरमीम को बदलकर खसरा नंबर 641/463 की नई तरमीम अपीलांट की तरमीमसुदा भूमि पर करदी जिसकी पुष्टि पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 17–4–2012 को जारी प्रमाणित प्रतिलिपी से होती है, जो अपील के साथ पेश है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि उक्त तथ्य की जानकारी होने पर अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 व 131 भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के सलंग्न लाल रंग मे दर्शाये अनुसार नक्शे मे तरमीम करने का निवेदन किया जो प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटगण को सुने बिना ही पृथक से प्रशासनिक आदेश पारित कर दिया, जिससे अपीलांटगण की तरमीम को बदल दिया, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिविरूद्ध एवं न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अपनी बहस मे कथन किया कि मौजा सोनाईलाखा पटवार मण्डल डुंगरपुर के खसरा नंबर 463 का रकबा 131.09 बीघा था तथा आदिया वगैरा को 13 बीघा भूमि का आवंटन होने के पश्चात अपने खातेदारी की भूमि की भूमि की तरमीम हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय ने मौके एवं कब्जा बाबत रिपोर्ट मंगवाकर विधिवत तरमीम बाबत आदेश पारित किये है ।

वकील रेस्पो0 ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मेरे प्रार्थना पत्र मे न तो किसी की तरमीम निरस्त करने की इस्तदुआ थी और न ही अधीनस्थ न्यायालय ने किसी की तरमीम को निरस्त करने बाबत कोई आदेश पारित किया है इसलिए अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एव उसमे उपलब्ध दस्तावेजात, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय आदि का अवलोकन व अध्ययन किया । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 के पति एवं पिता आदिया पुत्र विसना जाति राईका निवासी सोनाईलाखा ने अपने खातेदारी एवं कब्जासुदा भूमि खसरा नंबर 641/463 रकबा 13 बीघा भूमि की मौके पर कब्जा अनुसार तरमीम करने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र पर पटवारी हल्का एवं निरीक्षक भू अभिलेख से रेकर्ड एवं मौके की तथ्यात्मक रिपोर्ट मय तरमीम प्रस्ताव चाहे जाने पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 13-8-2017 को प्राप्त रिपोर्ट मे खसरा नंबर 641/463 रकबा 13 बीघा खातेदारी भूमि पर आदिया पुत्र विसना मौके पर काबिज होना तथा प्रार्थी के अलावा किसी अन्य का कब्जा काश्त नही होने की रिपोर्ट प्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने मौके पर काबिज अनुसार तरमीम करने के आदेश पारित किये है ।

अपीलांट अधिवक्ता ने इस न्यायालय मे प्रस्तुत उक्त अपील के साथ उसके खातेदारी मौजा सोनाईलाखा के खसरा नंबर 652/463 की भूमि के नक्शा किश्तवार की दो प्रतिलिपियां प्रस्तुत की है जो कमशः दिनांक 10-1-2011 तथा 28-8-2012 को पटवारी हल्का डुंगरपुर द्वारा जारी की गई है, जिनकी ओर ध्यान दिलाते हुए अपीलांट अधिवक्ता का यह कथन कि उसके खातेदारी की भूमि पूर्व मे तरमीमसुदा थी जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14-8-2012 की आड मे पटवारी हल्का द्वारा की गई तरमीम से अपीलांट के खसरा नंबर 652/463 की तरमीम प्रभावित होने पर अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रोहट के समक्ष धारा 128, 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया था जिसके विचाराधीन रहते ही अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटगण को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त करने का निवेदन किया ।

ऐसे मे अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रोहट द्वारा पारित आदेश कमांक 2367-68 दिनांक 14-8-2012 मे इस आशय का हस्तक्षेप किया जाता है कि उक्त खसरा नंबर 463 मे जितने भी आवंटी है, उन सभी को नोटिस जारी कर, उनकी उपस्थिति मे उनके कब्जा काश्त की जांच करे तथा कब्जा काश्त मे किसी तरह का विवाद न हो तो राजस्व नक्शे मे उनको आवंटित रकबे एवं कब्जे काश्त अनुसार विधिसम्मत तरमीम की कार्यवाही सम्पन्न करने के आदेश पारित करें । अपीलांटगण एवं रेस्पो0गण को आवंटित एवं कब्जा काश्त अनुसार यदि रकबे मे कमी-बेशी होती है तो तद्नुसार अपीलाधीन आदेश दिनांक 14-8-2012 मे संशोधन करे तथा यदि अपीलांटगण की खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 652/463

की 27 बीघा पूर्व से तरमीमसुदा था तथा अपीलाधीन आदेश की आड मे किसी प्रकार से अपीलांटगण की तरमीम प्रभावित हुई है या पूर्व मे तरमीम नही थी तो जिस पटवारी ने डॉट–डॉट लगाकर वर्ष 2011 मे तरमीम दर्शाते हुए नकल जारी की है तो उस संबंधित पटवारी हल्का के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल मे लाई जाये ।

उपरोक्त निर्देशो के साथ अपीलांटगण की उक्त अपील आंशिक स्वीकार की जाती है ।

निर्णय आज दिनांक 28–9–2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

28/9/18

(मानाराम पटेल)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर